पत्र सं0–14/डी0एल0ए0, एस0 एस0 बी0–सुपौल–02/13–2520/रा0, पटना–15, दिनांक–01/10/2013

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अर्जन निदेशालय)

संख्या...........

पटना, दिनांकः–

अधिघोषणा

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि मौजा–आसनपुर कुपहा थाना सं0–93, परगना– नारेदिगर, थाना– किसनपुर, जिला– सुपौल में सार्वजनिक परियोजनार्थ अर्थात् एस0एस0बी0 18 बीं बटालियन के प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए भारत सरकार के अधीन गृह मंत्रालय के खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त योजना के लिए उपरोक्त ग्राम– आसनपुर कुपहा थाना– न0 93 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित हैं, जो मानक माप से कमोवेश 24.63 (चौबीस एकड़ तिरसठ डीसमल) मात्र है, जिसका पूर्ण/अंश खेसरा निम्न प्रकार है:–

<u>पूर्ण खेसरा संख्याः–</u> शून्य

<u>अंश खेसरा संख्याः–</u> 361 एवं 1348

<u>चौहद्दीः–</u>

<u>उत्तरः–</u> मझारी सीमा थाना नं–36

<u>दक्षिणः–</u> एन0एच0–57 सड़क एवं खेसरा सं0–361

<u>पूरबः–</u> खेसरा सं0–361 तथा 1348

पश्चिमः– मझारी सीमा थाना नं–36

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग, जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो ले, लिए जायेंगे। यह घोषणा अधिनियम 1, 1894 की धारा 6 और अधिनियम 18, 1885 की धारा 3 के खंड (1) यथा संशोधित अधिनियम की धारा 4 सन् 1961 एवं सन् 1984 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध हो। भूमि का मानचित्र जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सुपौल के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

समाहर्ता,
सुपौल।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

ह0/-
सरकार के अवर सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार, विभाग
बिहार, पटना।

0 सं0–14/डी0एल0ए0, एस0 एस0 बी0–सुपौल–02/13–2420/रा0, पटना–15, दिनांक–01/10/2013

ज्ञापांकः–   दिनांकः–

प्रतिलिपिः–

- तीन अतिरिक्त प्रतियाँ सीडी के साथ निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों– जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाि ात संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सुपौल को भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रभारी जिला गजट पदाधिकारी, सामान्य शाखा, सुपौल को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशित करने और इसकी पॉच–पॉच प्रतियॉ इस विभाग को एवं जिला भू–अर्जन कार्यालय, सुपौल को यथा शीध्र भेजने हेतु प्रेषित।
- समाहर्त्ता, सुपौल, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी सुपौल एवं समादेष्टा, एस0एस0बी0 18 वीं बटालियन, वीरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/9/13

सरकार के अवर सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।